

5/9/2017

वकीलप्राथी अपील

मंचालयिक कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश में होने के कारण पचावली आगपेश हुई। अप्राथी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड तलब लेकर पचावली दिनांक 11/10/2017 को पेश हो।

बति: विजय कलेक्टर, पाली

11/10/17

वकीलप्राथी अपील

पूर्व आदेश दि. 5/9/2017 की पालना लेकर पचावली दिनांक 15.11.2017 को पेश हो।

1262  
24/10/2018

बति: विजय कलेक्टर, पाली

15.11.17

वकीलप्राथी अपील

अप्राथी के नाम अर्थात् नोटिस तलब लाभो लगी ली है अतः पुनः अर्थात् ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड तलब हो पचावली दि. 5/12/2017 को पेश हो।

बति: विजय कलेक्टर, पाली

5/12/2017

वकीलप्राथी अपील

वकीलप्राथी द्वारा इस न्यायालय से न्याय नहीं मिलने का कथन करते हुए प्रकरणा अन्य न्यायालय को स्थानान्तरित करने का निवेदन किया है। अतः पचावली आगामी सुनवाई हेतु न्यायालय जिला कलक्टर पाली को स्थानान्तरित की जाती है। प्रकरणा आगामी तारीख पेशी दि. 6/12/2017 को न्यायालय जिला कलक्टर पाली में उपस्थित हो। पचावली इस न्यायालय के नम्बर से कम हो।

बति: विजय कलेक्टर, पाली